कृषि अनुभाग-5
उत्तर प्रदेश शासन
संख्या-25/2022/2064897(1)/12-5099/17/2022
लखनऊ :: दिनांक 29 मार्च, 2022

शुद्धि पत्र

शासनादेशसंख्या-24/2022/2064897/12-5099/17/2022, दिनांक 29 मार्च, 2022 के साथ संलग्न प्रपत्र बी0एम0-9 भाग-1 के कालम-7 में अंकित अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक-2401-फसल कृषि कर्म, 111-कृषि अर्थव्यवस्था तथा सांख्यिकी, 04-कृषि विभाग में कृषि सांख्यिकी तथा प्रबन्ध व्यवस्था के सम्बन्ध में कम्प्यूटराइजेशन का अध्ययन एवं डिजायन तैयार करने की योजना के मानक मद 01-वेतन एवं 04-मकान किराया भत्ता **के स्थान पर लेखाशीर्षक-2401-फसल कृषि कर्म, 111-कृषि अर्थव्यवस्था तथा सांख्यिकी, 04-कृषि विभाग में कृषि सांख्यिकी तथा प्रबन्ध व्यवस्था के सम्बन्ध में कम्प्यूटराइजेशन का अध्ययन एवं डिजायन तैयार करने की योजना के मानक मद 01-वेतन एवं 55-मकान किराया भत्ता पढ़ा जाय।**

2- शासनादेश दिनांक 29 मार्च, 2022 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय। शासनादेश दिनांक 29 मार्च, 2022 की शेष शर्ते यथावत रहेगी।

अमर चन्द्र
अनु सचिव

संख्या एवं दिनांक यथोक्त्।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-:

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार(लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3- प्रधान महालेखाकार(सिविल/आडिट), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- वित्त नियंत्रक, कृषि निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
6- सहायक निदेशक(कम्प्यूटर एवं समन्वय), कृषि निदेशालय, लखनऊ।
7- वित्त (व्यय नियंत्रण)अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-3।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से
अमर चन्द्र
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in